

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 09/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सुभा देवी वगै0 ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

भुनेश्वर राणा वगै0 ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

31/3/25

आवेदिका सुभा देवी एवं सावित्री देवी के आवेदन का अवलोकन तथा अन्य जानकारी के आधार पर निम्नलिखित विवरण वाले जमीन पर विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर दिनांक 31.01.2025 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना / अंचल	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
केशवारी	सरिया	207	2727	50 डी0 मध्ये 23 डी0
चौहद्दी :	उ0- चुरामण राणा,		द0- निज विक्रेता,	
	पू0- रास्ता,		प0- मुला मियाँ वगै0	

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना अपना पक्ष रखे तथा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किए।

प्रथम पक्ष सुभा देवी तथा सावित्री देवी का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी उनके दादाजी झरी राणा के नाम से सरिया अंचल में कायम है। वे अपने हिस्से की भूमि 50 फीट चौड़ा तथा 200 फीट लम्बा में घर बनाने का कार्य कर रहे थे तो द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त निर्माण कार्य में विवाद किया गया। उक्त भूमि को लेकर पूर्व में पंचायत भी हुआ है जिसमें उन्हें हिस्सा भी मिला है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक वंशावली की छायाप्रति, एक पंचायतनामा की छायाप्रति, एक हुकुमनामा तथा Online पंजी-II की प्रति जमा करते हैं।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष अपनी कारणपृच्छा में कहते हैं कि वे पंचायत के फैसलानामा को नहीं मानते हैं तथा कहते हैं कि प्रथम पक्ष अपना हिस्सा सक्षम न्यायालय से बंटवारा करा कर प्राप्त करें। द्वितीय पक्ष अपने दावे

के समर्थन में online पंजी-II की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

अंचल अधिकारी, सरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 153 दिनांक 12/3/25 प्राप्त। उक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खाते की है तथा किस्म परती कदीम है। उभय पक्ष एक ही वंश के हिस्सेदार हैं। प्रथम पक्ष के सुभा देवी वगैरह के दादा झरी राणा पिता कैला राणा के नाम से पंजी-II के भाग सं0 06, पृष्ठ सं0 61 पर रकबा 50 डी0 भूमि का जमाबन्दी कायम है। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा नीव खुदाई आरंभ किया गया था जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा रोका गया है जो कि विवाद का कारण है।

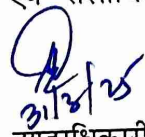
उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए राजस्व संबंधी साक्ष्यों का अवलोकन करने, अंचल अधिकारी सरिया के प्रतिवेदन का अध्ययन करने एवं उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी उभय पक्ष के पूर्वज झरी राणा के नाम से अंचल कार्यालय के मांग पंजी-II में कायम है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष का संयुक्त हित निहित (Joint vested interest) है। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त वादग्रस्त भूमि पर रैयती उपभोग अधिकार (Tenant's right of enjoyment) से प्रथम पक्ष को पूर्णरूपेण वंचित किए जाने का प्रयास उचित प्रतीत नहीं होता है।

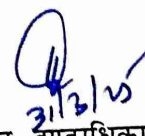
अतः नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त (Vacate) तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है। साथ ही आदेशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बगैर प्रथम पक्ष को उनके हिस्से की जमीन से बेदखल नहीं करेंगे तथा निर्माण कार्य को बाधित नहीं करेंगे।

चूँकि मामला बंटवारा से संबंधित है अतः द्वितीय पक्ष मामले का स्थायी निपटारा करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। विधि व्यवस्था संधारण तथा शांति व्यवस्था हेतु उक्त आदेश से थाना प्रभारी सरिया तथा अंचल अधिकारी सरिया को अवगत कराएं।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया